

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : ०५.०५.१८

संख्या— ३/एल-६-१-४५/२०१६-२१९(३) /स्वा०, डा० सरिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौबतपुर, पटना को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-७४(वी०)-सह-पठित वित्त विभागीय पत्रांक ६१९० दिनांक २७.०४.१९७९ में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि बाद में कोई अवधि अविनियमित सिद्ध होती है तो उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी और उसको विनियमित करने का आग्रह नहीं करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ३/एल-६-१-४५/२०१६-२१९(३) /स्वा०, पटना, दिनांक : ०५.०५.१८

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल पटना/जिलाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० सरिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौबतपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२,३ एवं ९ को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव ५.५.१८
भौमि